

मेरे बाद फोल्डर : सरदार/अन्य पद

सैन्य संख्या : _____

पद : _____

नाम : _____

रेजिमेंट/कोर : _____

इनकारी ब्यान

विवरणिका में मौजूद जानकारी पूरी तरह से सूचनात्मक है और एक मार्गदर्शक के रूप में है | किसी भी दावे को प्राथमिकता देते समय इस एक प्राधिकारी के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए |

मेरे बाद फोल्डर : JCOs/ OR

मेरी बाद की जानकारी

1. लेआउट : मेरे बाद की जानकारी तीन भागों में बांटा गया है :-

(अ) भाग-i:- सेवारत सैनिक की मृत्यु पर तत्काल कार्यवाही ।

(ब) भाग - ii :- हकदारी एवं सुनिश्चित कार्यवाही ।

(स) भाग - iii :- व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज़ एवं जानकारी ।

2. सेवारत सैनिक और भूतपूर्व सैनिक द्वारा ध्यान में देने वाली बात :- एक व्यक्ति को इस तथ्य को जानने की ज़रूरत है , जबकि वह विभिन्न संपत्तियों के साथ-साथ वित्त के मामले में परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है , पर उसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनीज़रूरी है :-

(क) क्या मेरे परिवार के पास पर्याप्त ज्ञान, आत्मविश्वास है और वह जानता है की मेरे निधन पर दुखद समय से कैसे गुजरना है ।

(ख) क्या मेरा परिवार जानता है की मेरे निधन पर क्या क्या कार्यवाही करनी है ।

(ग) क्या मेरा परिवार जानता है कि मेरे निधन पर किन किन लोगों से संपर्ककरना है ।

(घ) क्या मेरा परिवार जानता है कि मेरे निधन के बाद उन्हें क्या मिलेगा ।

(च) जबकि मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है, क्या मेरे बाद मेरे परिवार को वह मिलेगी, जो उनका हक़ है ।

(छ) क्या मेरे परिवार को पता है कि मेरे पास कहाँ और कितनी संपत्ति है ।

(ज) क्या मेरा परिवार जानता है कि उन्हें अपना हक़ कैसे मिलेगा ।

3. ये फोल्डर विभिन्न कार्यों के लिए एक संरचना प्रदान करता है , साथ साथ व्यक्तिगत/ वित्तीय जानकारी भी प्रदान करता है । ये सुझाव दिया जाता है की सभी सेवारत सैनिक और पूर्व सैनिक पुस्तिका को अपने लिए उपयुक्त बनाएं और उसकी एक कागज़ी प्रति अपने पास रखें ।

**सैनिक और भूतपूर्व सैनिक
का ब्यौरा**

आर्मी नंबर /JC No.		रैंक (इन्क्लुडिंग Hony)	
नाम			
जन्म की तारीख		जन्मस्थान का नाम	
ब्लड ग्रुप		पैन नंबर	
आधार नंबर		आधार लिंकड मोबाइल नंबर	
ड्राइविंग लाइसेंस नंबर		समाप्ति की तारीख	
पासपोर्ट नंबर		समाप्ति की तारीख	
ईमेल ID		अन्य मोबाइल नंबर	
PPO नंबर		कोर PPO	
स्पर्श की लॉग इन ID			
वोटर ID कार्ड नंबर			

पत्नी का ब्यौरा

नाम			
जन्म की तारीख		जन्मस्थान का नाम	
ब्लड ग्रुप		पैन नंबर	
टेलीफोन/मोबाइल नंबर		आधार नंबर	
आधार लिंकड मोबाइल नंबर			
ईमेल ID			
वोटर ID कार्ड नंबर			
पासपोर्ट नंबर		समाप्ति की तारीख	
ड्राइविंग लाइसेंस नंबर		समाप्ति की तारीख	
बैंक A/C डिटेल्स (सिंगल अकाउंट)		समाप्ति की तारीख	
डेबिट कार्ड डिटेल्स			
क्रेडिट कार्ड डिटेल्स			

बच्चे का नाम	जन्म तिथि	जन्म का स्थान	ब्लड ग्रुप
ब्यौरा	पहला बच्चा	दूसरा बच्चा	तीसरा बच्चा
टेलीफोन नंबर			
ईमेल			
पैन नंबर			
आधार नंबर			
आधार लिंकड मोबाइल नंबर			
वोटर ID कार्ड नंबर			
पासपोर्ट नंबर & समाप्ति			
ड्राइविंग लाइसेंस नंबर			
बैंक खाता नंबर			
डेबिट कार्ड			
क्रेडिट कार्ड			
मेडिकल/अन्यइंसोरेंस			

महत्वपूर्ण नोट :- क्या आपने अपने सब परिवार का ब्यौरा पार्ट-2 आर्डर में किया है। अपने अभिलेख कार्यालय से जरूर चेक करवा लें। अगर नहीं हैं तो आश्रितों के आय प्रमाण पत्र राशि 9,000/- प्रति माह सभी श्रोतो से) जो की जिला राजस्वो अधिकारी से प्रमाणित हो के साथ पार्ट II आर्डर करवा लें। अगर आपका कोई भी बच्चा दिव्यांग है तो उनका पार्ट-2 आर्डर और नाम PPO में जरूर दर्ज करवाएं।

दस्तावेज की जांच की जाए और उसे अपने पास रखा जाये	विशेष ध्यान / Remarks		अवलोकन कर जांच की गई
शादी का पार्ट II आर्डर	भाग II आदेश में :- - महिला का नाम - शादी की दिनांक और स्थान - अधिकार / कानून - महिला का जन्मदिनांक - माता-पिता का नाम - राष्ट्रीयता		
प्रत्येक बच्चे का पार्ट II (गोद लिया हुआ भी)	भाग II आदेश में :- बच्चे के जन्म की तारीख और स्थान और माता का नाम		
विशेष बच्चों की घोषणा (दिव्यांग) यदि होतो			
NOK का पार्ट II आर्डर / NOK का बदलाव :- आधारकार्ड , पैनकार्ड एवं पासपोर्ट (यदि होतो)	प्रत्येक सदस्य को नामांकित करें		
वसीयत की प्रति	पत्नी को नामांकित करें		
DCRG के लिए नामांकित	-do-		
AGIF के लिए नामांकित	बीमा राशी की कुछ हिस्से के लिए माता- पिता को नामांकित करें		
AFPP Fund के लिए नामांकित	पत्नी को नामांकित करें		
joint bank salary account के लिए DSP फायदे का विवरण	बैंक द्वारा सुनिश्चित राशि		
Provident फण्ड से जुड़ी बीमा policy यदि होतो			
EI cert नंबर और तारीख			
चल / अचल संपत्ति			
CSD cards			
Dependent cards			
वर्तमान चिकिस्ता श्रेणी			
ECHS card			
PPO नंबर और जारी करने की तारीख			
Organ Retrieval Banking आर्गेनाइजेशन			
स्पर्श आईडी और पासपोर्ट	मृत्यु / लापता होने पर सूचित करें और पारिवारिक पेंशन क्लेम को शुरू करने की जानकारी होनी चाहिए		
DISHCHARGE BOOK No और जारी करने की तारीख			
Veteran/ Dependent Card No और जारी करने की तारीख			

महत्वपूर्ण:- कृपया सुनिश्चित करें की पति / पत्नी का विवरण जो रिकॉर्ड ऑफिस में है, उसके अनुसार आधार, पैन , पासपोर्ट में हो, यदि नहीं तो अभी रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें । याद रखें- आपके दस्तावेज अभिलेख कार्यालय में रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार संसाधित किये जायेंगे। मृत्यु उपरांत कोई भी बदलाव पत्नी/ NOK को बेवजह देरी उत्पन्न करेगा, उपरोक्त के अलावा फोल्डर के साथ रखे गए दस्तावेजों की एक सूची परिशिष्ट " k" में संलग्न है।

भाग- I : सेवारत सैनिक या भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु पर तत्काल कार्यवाही

1. **सूचित करें** . किसी सेवारत सैनिक या veteran की मृत्यु की सूचना इस प्रकार देना है :-
 (अ) **सेवारत सैनिक**. NOK, यूनिट, Records ऑफिस और फार्मेशन HQs.
 (ब) **Veteran**. जिला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड ऑफिस, निकटतम स्टेशन HQ या CSD कैंटीन .
2. **अंगदान (Organ Retrieval Banking आर्गेनाइजेशन (ORBO).** अंगों के दान के लिए ORBO को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
3. **दाह संस्कार का समय, दिनांक और स्थान .** दाह संस्कार के तुरंत बाद तारीख , समय और स्थान का निर्णय करने के बाद सभी सम्बंधित जगह, साथ ही जिला सैनिक बोर्ड, यूनिट और CSD कैंटीन के वेलफेयर अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए सूचित करें |
4. **व्यवस्था :-** शव ले जाने के लिए एक वाहन / शव वाहन की व्यवस्था करें, साथ ही दाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री की भी व्यवस्था की जानी चाहिए |
5. **दाह संस्कार प्रमाण पत्र :-** शमशान घाट प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह मृत्युप्रमाणपत्र जारी कराने के लिए अहम है और मृत्यु के पंजीकरण के लिए नगरनिगम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है |
6. **मृत्यु प्रमाणपत्र :-** जैसे भी हो अस्पताल/ उपचार करने वाले डॉक्टर से मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करें |

तत्कालकार्यवाही

जांचसूची

कार्यवाही	हितधारको	संपर्क नंबर	Remarks
परिवार वालों को सूचित करें			
अंगदान वालों को सूचित करें			
दाह संस्कार का समय, दिनांक और स्थान			
दाह संस्कार प्रमाणपत्र			
मृत्यु प्रमाणपत्र			
जन्म/ मृत्यु रजिस्ट्रार के पास मृत्यु का पंजीकरण कराएँ			

मृत्यु के उपरांत करने वाली कार्यवाही : जांच सूची

1. **मृत्यु की सूचना :-** मृत्यु की सूचना नीचे दिये गये ऑफिस या अधिकारियों को तुरंत देनी है :-

उद्देश्य	संगठन/प्राधिकरण	संपर्क नंबर
अगर मृत्यु दुर्घटना से हुई है तो इंसोरेंस या मुआवजा के लिए	नजदी की पुलिस स्टेशन	
मृत्यु उपरांत मिलने वाली सुविधाएं	अभिलेख कार्यालय	
पारिवारिक पेंशन के लिए	स्पर्शपोर्टल (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	परिशिष्ट 'A' परनमूना
बीमा राशि जारी करने हेतु	AGIF	परिशिष्ट 'C' परनमूना
निधान की सूचना	युनिट & सेंटर	परिशिष्ट 'D' & 'E' परनमूना
पोस्टऑफिस बचत/PLI	पोस्टऑफिस	
विधवा पहचान पत्र के लिए	जिला/राज्य सैनिक कल्याण कार्यालय	परिशिष्ट 'F' परनमूना
सर्विसपर्टिकुलर के लिए	अभिलेख कार्यालय	परिशिष्ट 'G' परनमूना
CSD कार्ड्स के लिए	आश्रित URC	परिशिष्ट 'H'
ECHS कार्ड्स के लिए	ECHS के क्षेत्रीय मुख्यालय	
जायदाद सम्बन्धी कागजों के लिए	निगम प्राधिकरण	
इनकमटैक्स return की सुविधाओं के लिए	बैंक प्रबंधक	
लोन, FD के लिए	बैंक प्रबंधक	
बीमा पॉलिसी के लिए	बैंक प्रबंधक	
निजी हथियार (अगर है तो)	लाइसेंसिंग प्राधिकारी	
वसीयत का प्रोबेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए	न्यायालय	

भाग-II सैनिक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली परिलब्धिया**1. उत्तराधिकारी को निम्नलिखित परिलब्धियां लागू हैं:-**

(a) **पारिवारिक पेंशन :-** दिशानिर्देशों के अनुसार आश्रित होने की स्थिति में NOK को पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया जाता है, पेंशन की राशि उनपरिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मौजूदा नियमों और नीतियों के अनुसार, हाताहतों की संख्याको विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :-

(i) **वर्ग A (साधारण पारिवारिक पेंशन):-** प्राकृतिक कारणों से मृत्यु या विकलांगता, न तो सैन्य सेवा के कारण हुई है और न ही बाद है, उदहारण हैं बीमारियों के कारण होने वाले रोग या कष्ट, हृदय, गुर्दे की बीमारियां और लम्बी बीमारी, ड्यूटी पर नहीं रहने के दौरान दुर्घटनाएं।

(ii) **वर्ग B (विशेष पारिवारिक पेंशन):-** ऐसे कारणों से जो सैन्य सेवा के कारण हुई हैं या बाद में उदहारण के तौर पर प्रतिकूल वातावरण, चरम मौसम की स्थिति या व्यावसायिक खतरों के निरंतर संपर्क के कारण होने वाली बीमारियां।

(iii) **वर्ग C (विशेष पारिवारिक पेंशन) :- कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु या विकलांगता का कारण :-**

(aa) सरकारी वाहन में ड्यूटी पर यात्रा करते समय दुर्घटनाएं।

(ab) हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटनाएं।

(ac) ड्यूटी के दौरान समुद्र में दुर्घटना।

(ad) ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत।

(ae) आयोजित खेल आयोजनों/ साहसिक गतिविधियों/ अभियानों/ प्रशिक्षण में भागेदारी के दौरान दुर्घटनाएं।

(iv) **वर्ग D (उदारीकृत) पारिवारिक पेंशन (LFP) :-** आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा/ हमले के कारण मृत्यु या विकलांगता, चाहे वह ड्यूटी पर हो या नहीं। सार्वजनिक स्थान या परिवहन में बम विस्फोट, सार्वजनिक रूप से अंधाधुंध गोलीबारी आदि, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक प्राधिकरण को सहायता प्रदान करते समय मृत्यु।

(v) **वर्ग E (उदारीकृत) पारिवारिक पेंशन (LFP) मर्त्यु के कारण :-**

(aa) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु की कार्यवाही।

(ab) संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्से के रूप में तैनाती के दौरान।

(ac) सीमा पर झड़पें।

(ad) माइंस बिछाने/ निकलते समय दुर्घटनाग्रस्त होना।

(ae) माइंस का विस्फोट।

(af) युद्ध जैसी स्थिति, जिसमें मामले शामिल हैं जो की सैन्य सेवा के कारण हुए हैं या बाद में चरमपंथी कृत्यों द्वारा, युद्ध की तैयारी, जिंदा बारूद के प्रदर्शन में, चरमपंथियों द्वारा बंधक बनाये जाना, ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान शत्रु एजेंटों द्वारा विषैला पानी करने की वजह से, ड्यूटी के दौरान चरमपंथियों द्वारा हिंसा के कृत्य से, नागरिक प्रशासन की मदद, ऑपरेशन जोकी युद्ध योजना अभ्यास और ऑपरेशन निर्देश के लागू होने में सम्मिलित है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास शामिल है। युद्ध की तैयारी में सभी लड़ाई और सामरिक उड़ानें।

परिलब्धिया (हकदारी)

(b) उपरोक्त श्रेणियों के आधार पर पेंशन के प्रकार और दर निम्नलिखित हैं :-

क्रम	वर्गी/श्रेणी	पारिवारिक पेंशन के प्रकार	पेंशन की दर
(i)	वर्ग A	साधारण पारिवारिक पेंशन	अनुमानित परिलब्धियों का 50% 10 साल के लिए , उसके बाद 30%
(ii)	वर्ग B	विशेष पारिवारिक पेंशन	अनुमानित परिलब्धियों का 60%
(iii)	वर्ग C	विशेष पारिवारिक पेंशन	अनुमानित परिलब्धियों का 60 %
(iv)	वर्ग D	उदारीकृत	अंतिमनिका ले गए अनुमानित परिलब्धियों के बराबर
(V)	वर्ग E	उदारीकृत पारिवारिक पेंशन	अंतिमनिका ले गए अनुमानित परिलब्धियों के बराबर

(c) **अनुग्रह राशि एक मुश्त मुआवजा :-** यह उन JCOs/ OR को प्रदान किया जाता है जिनकी मृत्यु नीचे दी गयी परिस्थितियों में होती है :-

विवरण	धनराशी	डीलिंगएजेंसी
कर्तव्यों के दौरान दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु	25,00,000	PCDA (P) Record Office के माध्यम से
आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान	25,00,000	
युद्ध या सीमा पर झड़प में दुश्मन की कार्यवाही के दौरान या उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के खिलाफ कार्यवाही में होने वाली मृत्यु	35,00,000	
प्राकृतिक आपदाओं, अधिक खराब मौसम की स्थिति के कारण, दुर्गम सीमा चौकियों आदि पर ड्यूटी के दौरान होने वाली मृत्यु	35,00,000	
युद्ध या युद्ध जैसी गतिविधियों में दुश्मन की कार्यवाही के दौरान होने वाली मृत्यु	45,00,000	

परिलब्धिया (हकदारी)

(d) **मृत्यु उपदान :-** यह निम्नलिखित दरों के अनुसार NOK को दी जाती है :-

अर्हक सेवा में लम्बाई	मृत्यु उपदान की दर	डीलिंग एजेंसी
एक वर्ष से भी कम	02 बार मासिक परिलब्धियां के बराबर	PCDA (P) Record Office के माध्यम से
एक वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 साल से कम	04 बार मासिक परिलब्धियां के बराबर	
05 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 11 साल से कम	12 बार मासिक परिलब्धियां के बराबर	
11 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 20 साल से कम	20 बार मासिक परिलब्धियां के बराबर	
20 वर्ष या उससे अधिक	सेवाओं के लिए हर 06 महीने में आधे महीने की परिलब्धियां, जो की परिलब्धियां का अधिकतम 33 गुना यानी 20 लाख रुपीस इनमे से जो भी कम हो	

(e) **AGI/अन्यपरिलब्धियां**

क्रम	विवरण/अन्य परिलब्धियां	धनराशी	डीलिंग एजेंसी
(i)	आर्मी ग्रुप इंसोरेंस (AGI)	50 लाख	AGI Dte
(ii)	AGI Maturity	जमा किये हम राशि ब्याज के साथ	
(iii)	छुट्टी का Encashment	जितनी छुट्टी जमा की हो	PAO (OR)
(iv)	खाते का अंतिम निपटान	आखिरी समय का बचत	PAO (OR)
(V)	AFPP Fund	जितना जमा किया हो	PAO (OR)
(vi)	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	बैंक द्वारा सुनिश्चित राशी	Concerned बैंक

2. पुन विवाह पर विधवा के अधिकार :-

(a) **OFP :-** निसंतान विधवा को देय रहेगा।

(b) **SFP :-** यह विधवा को देय रहेगा, बशर्ते वह बच्चों का पालन-पोषण करती रहे। यदि वह बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है तो पेंशन विधवा और सबसे बड़े बच्चे के बीच सामान रूप से विभाजित की जाती है। यदि विवाह के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो विधवा को निरंतर पूरी पेंशन निकालना जारी रहेगा।

(c) **LFP :-** विधवा को बच्चों का पालन पोषण करने की शर्त पर भुगतान जारी रहेगा। यदि वह बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है तो पेंशन विधवा और बच्चों के बीच विभाजित की जाती है। 30% और 60% के अनुपात में सबसे बड़ा बच्चा, विधवा को पूरी पेंशन प्राप्त होगी। विवाह से कोई संतान न होने की स्थिति में पुनर्विवाह करने पर भी पेंशन जारी रहेगी।

3. आश्रितों को पेंशन का अधिकार :-

(a) **विशेष आश्रित पेंशन :-** माँ या बाप को लागू है यदि मृतक की विधवा या बच्चे नहीं है। यह विशेष पारिवारिक पेंशन का 50% जो की विधवा को लागू है और यह आखिरी मासिक परिलब्धियां के 30 % .

(b) **उदारीकृत आश्रित पेंशन :-** यह माता-पिता को दी जाती है, अगर मृतक अविवाहि तथा या विधवा और बच्चे नहीं थे। मासिक परिलब्धियां का 60% मिलेगा यदि एक अभिभावक है और 75% मिलेगा अगर दोनों अभिभावक है।

(c) **शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बेटे/ बेटों को पारिवारिक पेंशन का अधिकार:-** शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चा जीवन भर के लिए साधारण पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, बशर्ते विकलांगता ऐसी हो की वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ नहीं हो और इस आशयका प्रमाण पत्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिया गया हो। 24 सितम्बर 2012 से शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बेटे/ बेटों की शादी के बाद भी उनके हक का भुगतान जारी रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित कदम ध्यान रखने हैं :-

(i) बच्चे का नाम सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।

(ii) बच्चे की विकलांगता को मौजूदा प्रावधानों के तहत चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के मामले में, व्यक्ति/ उसकी पत्नी को आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर बच्चे को पारिवारिक पेंशन जारी करने की सुविधा के लिए एक कानूनी अभिभावक को नामित कराना चाहिए।

(d) **अविवाहित/ विधवा/ तलाक शुदा बेटों को पारिवारिक पेंशन:-** विधवा/ तलाकशुदा आश्रित बेटों जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार है।

4. ECHS (पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना):-

(a) पति/ पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बेरोजगार बेटे और अविवाहित/ विधवा / तलाक शुदा बेटियाँ पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत शामिल की जाती है।

(b) एक मुश्त अनिवार्य योगदान और सदस्य बनाने के लिए एक बार में Rs 67,000/- JCO से और 30,000/- OR से PCDA (Pension) के द्वारा काटा जायेगा।

(c) ECHS स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन (<https://www.echs.gov.in>) पर जमा करना होता है।

5. **CEA.** बच्चों को शैक्षिक भत्ता रुपये 27,000/- और छात्रवृत्ति रुपये 81,000/- एक साल के लिए कक्षा 12 तक दो बच्चों के लिए R&W सेक्शन (DIAV) से मिलेगी।

6. **शैक्षिक रियायत :-** लड़ाई में हताहत होने वाले सैनिकों के बच्चों को पूरी फीस छात्रावास अनुवृत्ति और आकस्मिक शुल्क जैसे की बस का किराया और ड्रेस शुल्क दिया जाएगा। जब सेवाकाल के दौरान अन्य किसी स्थिति में मृत्यु होती है तो उनके बच्चों को कक्षा एक से आगे अधिकतम 02 बच्चों को छात्रवृत्ति R&W सेक्शन, AGs शाखा से निम्नलिखित दरों पर रियायत मिलेगी :-

Class	दर	Dealing एजेंसी
I से VIII	10,000 (एक बच्चों के लिए हर साल)	R&W सेक्शन (DIAV)
IX से XII	14,000 (एक बच्चों के लिए हर साल)	
स्नातक	20,000 (एक बच्चों के लिए हर साल)	
परास्नातक	25,000 (एक बच्चों के लिए हर साल)	
व्यावसायिक कोर्स	ट्यूशन + 5,000 अधिकतम 50,000 (एक बच्चों के लिए हर साल)	

टिपण्णी :- साहसिक भत्ता और छात्रवृत्ति प्रति के बारे में फॉर्म और प्रक्रिया की जानकारी के लिए अपने अभिलेख कार्यालय में संपर्क करें।

7. **कैटीन सुविधाएं :-** विधवाओं को भी किरयाना सामान के साथ साथ शराब निकालने का अधिकार है अंतिम रैंक के अनुसार ।

8. **अन्य अनुदान / हकदारी :-**

- (a) व्यक्ति की मृत्यु पर तुरंत 30,000 यूनिट से एक मुश्त अनुदान मिलेगा ।
- (b) स्नातक पाठ्यक्रम और उससे ऊपर , बच्चों के लिए 35,000 R&W सेक्शन से एक मुश्त कंप्यूटर अनुदान मिलेगा ।
- (c) बेटी की शादी के लिए 1,00,000/- DIAV से मिलेगा ।
- (d) विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 1,00,000/- DIAV से मिलेगा ।
- (e) **हवाई यात्रा रियायत :-** घरेलू उड़ानों में सफ़र के दौरान युद्ध विधवाओं को 75% की रियायत मिलेगी ।
- (f) **विधवाओं की उच्चशिक्षा :-**

class	दर	Dealing एजेंसी
स्नातक	20,000 प्रतिवर्ष	R&W सेक्शन (DIAV)
परास्नातक	25,000 प्रतिवर्ष	
व्यावसायिक कोर्स	50,000 तक अधिकतम प्रतिवर्ष	

(g) **ACWF:-** 06 मई 2020 से सभी युद्ध हताहतों के परिजनों को 8,00,000 का एक मुश्त अनुदान पहले (किसी यूनिट द्वारा तुरंत 1 लाख और दूसरी किश्त 7 लाख युद्ध हताहत प्रमाणपत्र जारी होने के बाद) और 2.5 लाख (1 लाख तुरंत यूनिट से 1.5 लाख PPO जारी होने के बाद (आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फण्ड / नेशनल डिफेन्स फण्ड AGS शाखा के द्वारा मिलता है ।

(h) **रेलयात्रा रियायत:-**

- (i) युद्ध विधवाओं को स्लीपर और साधारण श्रेणी में 75% रेलयात्रा मिलती है ।
- (ii) राजधानी / शताब्दी / जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करने के लिए विधवाओं को निशुल्क कार्डपास सुविधा 1 class/ 2nd AC / 3rd AC/ CC मरणोपरांत वीरता पुरुस्कार प्राप्त , चक्र सीरीज (PVC, MVC, VRC, AC, KC, & SC) एक सहयोगी के साथ को दिया जायेगा ।
- (j) व्यावसायिक संस्थानों की सीट में आरक्षण ।
- (k) 8% रक्षा कोटा के तहत ऑइलप्रोडक्ट एजेंसीज का आवंटन ।
- (l) **सरकारी व्यावसायिक आवास को जारी रखने की शर्तें**
 - (i) **युद्ध हताहत घटक** . 2 वर्षों के लिए , 01 साल के लिए अग्रसारित और फिर से 06 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, अत्यधिक दया अनुदान पर स्टेशन मुख्यालय के माध्यम से सरकारी दरों पर ।
 - (ii) **शारीरिक क्षति घटक** . स्टेशन मुख्यालय के माध्यम से 2 वर्षों के लिए ।

(m) **युद्ध विधवा बच्चों का छात्रावास** :- लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 35 हॉस्टल स्थापित किये गये हैं जो की अधिकांश रेजिमेंटल सेंटरमें हैं | जरूरतमंद बच्चें अपने प्रवेश के लिए सम्बंधित रेजिमेंटल सेंटर या निकटम छात्रावास से संपर्क कर सकते हैं |

VETERAN की मृत्यु के बाद पत्नी या बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी

9. **पारिवारिक पेंशन:-** सेवानिवृति के बाद भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर परिजनों को पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो निम्नलिखित दरो पर होगी :-

पारिवारिक पेंशन	पेंशन की दर
बढ़ी हुई दर से साधारण पारिवारिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन	सेवानिवृति के 10 साल के अन्दर यदि मृत्यु होती है तो अनुमानित परिलब्धियों का 50% , 7 साल के लिए या सैनिक की 67 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, उसके बाद 30% यदि मृत्यु सेवानिवृति के 10 साल बाद होती है तो

10. **विस्तारित बीमा (AGIF) :-**

विवरण	धनराशी	डीलिंग एजेंसी
विस्तारित बीमा (AGIF)	यदि मृत्यु से वानिवृति के 30 साल के अन्दर या 75 साल की आयु से पहले होती है तो RS 5 लाख जो 30 मई 22 से पहले रिटायर हुए है और RS 7.5 लाख जो 30 मई 22 को बाद रिटायर हुए है	AGIDte

11. **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI) कवर:-** यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है और उसके पास DSP खाता है तो ऐसे मामले में बैंक द्वारा सुनिश्चित राशि पेंशन भोगी को दे होगी |

12. **ADLRS:-** ESM के निधन पर NOK के ADLRS के रूप में RS 10,000/- की राशि का हकदार है | ADLRS का लाभ उठाने के लिए ESM को आश्रित कैटीन में खुद को पंजीकृत कराना चाहिए | NOK को कैटीन स्मार्टकार्ड और मृत्युप्रमाण पार्त के साथ आश्रित कैटीन के कैटीन प्रबंधक के पास जाना चाहिए | एक आवेदन प्रारूप परिशिष्ट 'J' पर दिया गया है |

अग्निवीर के NOK की हकदारी

13. **मृत्यु होने पर मुआवजा :-** अग्निवीर के लिए पेंशन अधिनियम लागू नहीं होगा लेकिन उनके परिवार को कुछ सुनिश्चित राशि दी जाएगी अगर किसी अग्निवीर की निम्न कारणों से मृत्यु होती है :-

(a) **वर्ग X :-** प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर जो न तो सैन्य सेवा से सम्बंधित है और नहीं है |

(b) **वर्ग Y :-** मृत्यु उन कारणों से स्वीकार योग्य है जो की सैन्य सेवा से सम्बंधित है और वह है या दुर्घटनाये कर्तव्यों के प्रदर्शन में हुई है जिसमें प्रशिक्षण शामिल है |

(c) **वर्ग Z :-** मृत्यु जो की आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों दुश्मन द्वारा हिंसा/ हमले के कारण, सीमा पर झड़पो /युद्ध/शांतिअभियानों/ नागरिक शक्ति की सहायता के दौरान और युद्ध तैयारियों में एवं युद्ध प्रशिक्षण में हुई है जिसमे भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओ/ अभियानों आदि के कारण है |

14. **मृत्यु/अपंगता पर हकदारी :-**

वर्ग/श्रेणी	अग्रिवीर की हकदारी
सेवा के दौरान मृत्यु प्रामाणिक कर्तव्य पर (वर्ग Y/Z)	बीमा कवर राशि 48 लाख तक
	एक बार राशि 44 लाख की अनुग्रह राशि
	मृत्यु के दिन के बाद 4 साल पूरा होने की बच्ची हुई सेवाकाल की पूरी तनखाह जिसमे सेवानिधि राशि सम्मिलित है
	सेवानिधि फंड और उस पर ब्याज और सरकार का योगदान
सेवा के दौरान मृत्यु ड्यूटी पर न होने पर (वर्ग X)	बीमा कवर राशि 48 लाख तक
	सेवानिधि फण्ड और उस पर ब्याज और सरकार का योगदान
विकलांगता (जो सैन्य सेवा के कारण हुई हैं या हैं)	विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर राशि 44/25/15 लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि
	शेष असेवित अवधि का पूरी तनखाह 4 साल तक (मृत्यु की तारीख से) जिसमे सेवानिधि घटक शामिल है
	सेवानिधि फण्ड मई जमा शेष और उस पर ब्याज और सरकार का योगदान

महत्वपूर्णसंपर्कएजेंसी :-

क्रम	एजेंसी का नाम	संपर्क नंबर
रिकॉर्ड ऑफिस		
(a)	OIC रिकार्ड्स	
(b)	Col/CRO रिकार्ड्स	
(c)	ड्यूटी क्लर्क	
(d)	टोल फ्रीनंबर	
(e)	ईमेल ID ऑफ़ रिकार्ड्स	
युनिट		
(f)	सीओ/OC	
(g)	बटालियन सूबेदार मेजर	
(h)	ड्यूटी क्लर्क	
LocalEst		
(j)	जिला सैनिक बोर्ड	
(k)	Nearest स्टेशन HQs	
PCDA (P)		
(l)	स्पर्श हेल्पलाइन नंबर	
(m)	ईमेल ID	

व्यक्तिगत निधिया**पार्ट III : व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी**

हालाँकि, NOK के लिए विभिन्न कार्यों के साथ साथ भारतीय सेना के अधिकारी और सम्बंधित विवरण के बारे में जागरूकता होनी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन NOK के लिए व्यक्ति द्वारा विभिन्न संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत वित्तीय संपत्तियों पर सूचना डेटाबेस इस तरह से तैयार करे :-

संपत्ति

लोकेशन और एड्रेस		
हाउस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर		
लोन डिटेल्स		
वाटरक नेक्शन उपभोक्ता नंबर		
एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स		
इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ता नंबर		
किरायदार विवरण (पेन्सिल में)		
हाउस टैक्स डिटेल्स		

बीमा विवरण

नाम ऑफ़ धा इन्सुरेड	इन्शुरन्स प्रोवाइडर	पालिसी नंबर और	प्रीमियम अमाउंट	रिमाक्स
------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	---------

	टाइपऑफ़ इन्शुरन्स (लाइफ/मेडिकल..)	सम इन्सुरेड	डेट ऑफ़ रिन्यूअल (इनपेन्सिल	

17.

बैंक खाता

नाम और बैंक का पता	प्रथम खाता धारक का नाम, खाता का प्रकार, खाता संख्या और आई फ स सी कोड	संयुक्त धारको के नाम, संचालन का तरीका और चेक बुक का स्थान	लोगिन आईडी

डेबिट कार्ड

जारीकर्ता बैंक का नाम	कार्ड पर नाम	पिन	रिमाक्स
	कार्ड संख्या एवं वैधता		
			नोट: धारक की मृत्यु के बाद ATM का संचालन ना करें

डेबिट कार्ड

जारीकर्ता बैंक का नाम	कार्ड पर नाम	पिन	रिमाक्स
	कार्ड संख्या एवं वैधता		

18.

फिक्स्ड डिपॉजिट्स

बैंक/डाकघर का नाम/पता	1st खाताधारक के नाम निवेश के प्रकार, खाता संख्या और नामांकित व्यक्ति	मात्र	रिमाक्स
		परिपक्वता तिथि	

नोट : इसमें बैंक ऐप्स पर ऑनलाइन माध्यम से की गई सावधि जमा भी शामिल है।

डेमेट खाता

DP का नाम और पता	खाताधारक और नामांकित व्यक्ति के नाम	DP ID	रिमाक्स
		ग्राहक ID	
		लॉग इन ID	

निवेश का विवरण

कंपनी/एजेंसी/जारीकर्ता विवरण	खाता संख्या/प्रमाणपत्र संख्या	निवेशित राशि	उपयोगकर्ता पहचान	रिमाक्स
		तारीख	लॉग इन ID	

19.

म्यूच्युअल फण्ड

MF योजना और निवेश का प्रकार	फोलियो नंबर	निवेशित राशि	उपयोगकर्ता पहचान	CAMS ID & PW
		तारीख	लॉग इन ID	

म्यूच्युअल फण्ड : SIP

MF योजना	फोलियो नंबर	SIP राशि	इकाईयाँ आयोजित की गईं	रिमाक्स
		प्रारंभ/नियत तिथि	वर्तमान मूल्य	

अचल संपत्ति

संपत्ति का विवरण (स्वामित्व का हिस्सा)	अधिग्रहण की तारीख और लागत	दस्तावेजों की सूची और उनका स्थान	वार्षिक व्यय/आय

20.

वाहन का विवरण

मॉडल, मेक और पंजीकरण संख्या	अधिग्रहण की तारीख और लागत	चेसिस नंबर और इंजन नंबर	दस्तावेजों और स्थान की सूची

वाहन बीमा विवरण

वाहन पंजीकरण संख्या	पालिसी संख्या	सुनिश्चित राशि	प्रीमियम राशि	नवीनीकरण दिनांक

आभूषण/मूल्यवान वास्तु

आभुषणकाविवरण	अधिग्रहण की तारीख और लागत	जोहरी का नाम और पता	रिमाक्स

लाकर का विवरण

बैंक का नाम और पता	लाकर नंबर और विवरण	सामग्री की सूची	रिमाक्स
किराए पर लेने की अवधि	स्थान लाकर कुंजी और पासकोड		

लिया गया लोन

ऋणदाता का नाम, पता और टेलीफोन नंबर	ऋण की राशि एवं तारीख	ब्याज दर सहित संक्षिप्त शर्त	परिपक्वता	सुरक्षा

दिया गया लोन

उधारकर्ता का नाम पता और टेलीफोन नंबर	ऋण की राशि एवं तारीख	ब्याज दर सहित संक्षिप्त शर्त	परिपक्वता	सुरक्षा

कानूनी मुद्दे

केस का संक्षिप्त विवरण	मुकदमेबाजी विवरण	बर्तमान स्थिति

नामांकन का विवरण

खाता/उद्देश्य	नामांकित व्यक्ति का विवरण एवं साझा करें	रिमाक्स

**महत्वपूर्ण दस्तावेजों की
जगह/स्थान**

दस्तावेज	लोकेशन
व्यक्तिगत प्रमाणपत्र (जन्म/विवाह/निवास प्रमाण आदि)	
शैक्षणिक/ शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मार्क शीट/डिग्री प्रमाणपत्र आदि)	
बैंक दस्तावेज (पासबुक/चेक बुक/लाकर चाबी आदि)	
निवेश प्रमाणपत्र (FD/शेयर/बांड प्रमाणपत्र आदि)	
बीमा दस्तावेज (पालिसी दस्तावेज आदि)	
क्रानूनी दस्तावेज (कर्म/वसीयत/न्यायालय का निर्णय आदि)	
संपत्ति के दस्तावेज (पंजीकृत दस्तावेज/किराए सहमकर्ता)	
वाहन के दस्तावेज (RC बुक/लोन दस्तावेज आदि)	
आयकर दस्तावेज	
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा दस्तावेज	
सदस्यता प्रमाणपत्र (क्लब/एसोसिएशन/प्रोफेशनल बॉडीज आदि)	
Digi/वेब लाकर सूचना (नाम, उपयोगकर्ता ID, पासवर्ड कंटेंट्स आदि)	

सदस्यता का विवरण

क्लब/एसोसिएशन/एजेंसी/व्यावसायिक निकायों का नाम	सदस्यता का प्रकार	सदस्यता संख्या एवं वैधता	रिमाक्स

महत्वपूर्ण संपर्क

व्यक्ति का नाम	सम्बन्ध	संपर्क विवरण (टेली/ईमेल/पता)

Notes:-

परिशिष्ट 'A'(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)

तारिख :

श्रीमती _____

(पत्राचार का पता)

दूरभाष : _____ मोबाइल _____

को,

सीनियर एओ (पी)

जीआई/एम (सैन्य अनुभाग), समूह IV

द्रौपदी घाट

प्रयागराज-211014

उत्तर प्रदेश

उप : स्वर्गीय नंबर रैंक नाम , आर्म/सर्विस
की विधवा के बैंक खाते का विवरण

महोदय,

- मुझे अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पद रहा है की मेरे पति नंबर _____ रैंक _____ नाम _____ का देहांत दिनांक _____ को हो गया है ।
- उन्हें Rs _____/- पर महीना पेंशन मिलती थी. उनका PPO नंबर _____ दिनांक जो की PPO नंबर _____ दिनांक _____ द्वारा संशोधित किया गया था । (कॉपी संलग्न है) ।
- मृत्यु का कारण मृत्यु प्रमाण पत्र में दिया हुआ है । जो की _____ द्वारा जारी की गयी है । (कॉपी संलग्न है)
- मृत्यु का कारण दुर्घटना थी/नहीं थी इसलिए पुलिस स्टेशन में FIR किया है/नहीं किया है । (FIR की कॉपी लागू नहीं होती) ।
- मेरा संयुक्त पेंशन खाता जो के मेरे पति के साथ था जिसमें हर महीना पेंशन आली थी वो इस प्रकार से है :-
 बचत बैंक खाता विवरण : _____
 बैंक का नाम और पता : _____

धन्यवाद,

आपकी आभारी.

श्रीमती _____)

परिशिष्ट 'B'
(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)

AGIFफायदे

क्रम सं	फायदे	ज़रूरी दस्तावेज
1.	50 लाख का बीमा कवर	(a) शपथ पत्र और क्षतिपूर्ति बॉन्ड को प्रारूप के अनुसार प्रारूपित करें। (b) मृत्यु प्रमाण पत्र (c) आधार पैन की फोटोकॉपी और रद्द चेक और फॉर्म 15 G/H।
2.	अनुग्रह भत्ता :- 100% विकलांगता और अधिकृत निरंतर उपस्थिति भत्ता वाले सरदार/अन्य पद को रु 12.5 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है।	(a) परिशिष्ट 'H' और AFMS -15 (b) सेवा विस्तार और बैंक विवरण के लिए पार्ट-II आर्डर का उद्धरण।
3.	पालन पोषण भत्ता :- सेवा के दौरान सेना के व्यक्ति की मृत्यु पर दो विशेष रूप से विकलांग बच्चों (40% और ऊपर) के लिए प्रति माह रु 12000/-।	(a) AGIF के लिए आवेदन (b) सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित गैर अर्जित प्रमाणपत्र। DSSB (c) विकलांगता का चिकित्सा प्रमाणपत्र। (d) पार्ट-2 आर्डर बच्चे के जन्म, विकलांगता और सेवारत व्यक्ति की मृत्यु का क्रम। (e) प्राकृतिक/कानूनी अभिभावक का बैंक विवरण, बच्चे की विकलांगता की शुरुआत की तारीख। (f) सीओ से प्रमाणपत्र, पार्ट 2 आर्डर में वर्तमान यूनिट पिता की मृत्यु के बाद abled बच्चे के लिए पार्ट -2 आर्डर publish।
4.	गैर पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना :- सेवा से बाहर होने और कोई पेंशन न पाने वाले व्यक्ति 100% विकलांगता के लिए 12.5 लाख के हकदार है। आनुपातिक रूप से विकलांगता को 20% तक कम कर देता है।	(a) पहचान पत्र की मूलप्रति (b) बैंक की जानकारी और मोबाइल नंबर। (c) मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
5.	विस्तारित बीमा योजना :- भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु पर NOK को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे जो 31 मई 2022 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो गए। यह लागू होता है यदि मृत्यु डिस्चार्ज से 30 साल के भीतर या 75 वर्ष के भीतर होती है। (जो भी पहले हो)।	(a) पर्सनल एप्लीकेशन। (b) मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ BARCode। (c) आधार कार्ड, पैन कार्डकी फोट कॉपी और cancelled चेक। (d) Contactनंबर।
6.	समाजिक सुरक्षा जमा योजना :- AGIF द्वारा FD में निवेश किये गए नाबालिग बच्चे और विधवाओं को बीमा लाभ, नाबालिग बच्चे की 15 वर्ष की आयु तक और विधवाओं के लिए 3-5 वर्ष तक। परिपक्वता पर। उपार्जित ब्याज के साथ मूल राशि लाभार्थी को भुगतान की जाती है।	(a) बैंक अकाउंट की डिटेल् IFSC कोड के साथ। (b) पैन और आधार कार्ड। (c) फॉर्म 15 G। (d) कांटेक्ट नंबर।
7.	डाक का पता :- आर्मी ग्रुप इन्सोरेंस फंड AGIF भवन, राव तुला राम मार्ग पोस्ट बैग नंबर 14, पीओ -वसंत विहार नई दिल्ली-110057	हेल्पलाइन डेस्क :- टेली : 011-26148654,011-26148055 Mob No – 7290090487,7290090478 E-mail :- dirclaim@armygroupinsurance.in claimdiv@armygroupinsurance.in

परिशिष्ट 'C'(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)

तारीख :

श्रीमती _____
 (पत्राचार का पता)
 दूरभाष : _____ मोबाइल _____

को,
 आर्मी ग्रुप इंसोरेंस फंड
 AGI भवन, राव तुला राम मार्ग,
 पोस्ट बैग 14
 वसंत विहार
 नई दिल्ली-110057
 (टेली : 011-6142793)

नंबर	रैंक	नाम
<u>आर्म/सर्विस के मृत्यु की सूचना</u>		

महोदय,

1. AGI एक्सटेंडेड इंसोरेंस सर्टिफिकेट _____ दिनांक _____।
2. अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है की मेरे पति नंबर _____ रैंक _____ नाम _____ रेजिमेंट/कोर _____ का देहंत दिनांक _____ को हो गया है।
3. उनको सर्विस/रिवाइज्ड पेंशन ऑफ़ रु _____/-पर महीना मिलती थी उनका PPO नंबर _____ एवं Corrigendum PPO _____ है।
4. मृत्यु का कारण Death सर्टिफिकेट नंबर _____ दिनांक _____ में दिया गया है। (कॉपी सलंगन है)।
5. मृत्यु का कारण दुर्घटना है/नहीं है। FIR के कॉपी भी सलंगन/है नहीं है।
6. AGI एक्सटेंडेड इंसोरेंस सर्टिफिकेट नंबर _____ दिनांक _____ के मुताबिक उनकी मृत्यु पर रु 2 लाख नेक्स्ट ऑफ़ किन को मिलना हैं।
7. आपसे अनुरोध है की एक्सटेंडेड इंसोरेंस को पैसा मेरे अकाउंट नंबर _____ में जमा करा देना और मुझे ऊपर दिया पते पर सूचित करें।

धन्यवाद,

आपकी आभारी,
 (श्रीमती _____)

संगलन

Copyto:-

1. सम्बंधित अभिलेख कार्यालय - PPO नंबर _____ दिनांक _____ जो की
CORRPPPO नंबर _____ dt _____ में
संशोधित किया गया है, के सम्बन्ध में सुचना ।
2. सीनियर AO (P)
GI/M (सेना विभाग), समूह IV
PCDA (पी)
द्रौपदी घाट
प्रयागराज-211014
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट 'D'(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)स्पीड पोस्ट के द्वारा

तारीख :-

श्रीमती _____

(पत्राचार का पता)

टेली : _____ मोबाइल _____

को,

कमान अधिकारी महोदय

युनिट/बटालियन

पिन –

मार्फत –

<u>नंबर</u>	<u>रैंक</u>	<u>नाम</u>
<u>आर्म/सर्विस</u>	<u>की मृत्यु की सूचना</u>	

महोदय,

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है की मेरे पति का नंबर _____ रैंक _____ नाम _____
 _____ रेजिमेंट/कोर _____ की मृत्यु दिनांक _____ को _____ के
 कारण हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न है।

धन्यवाद.

आपकी आभारी,

(श्रीमती _____)

संलग्न

परिशिष्ट 'E'
(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)
स्पीड पोस्ट के द्वारा
तारीख :-

श्रीमती _____
 (पत्राचार का पता)
 टेली : _____ मोबाइल _____

को,
 दा कमांडेंट
 रेजिमेंटल सेंटर
 पिन –
 मार्फत –

नंबर	रैंक	नाम
	आर्म/सर्विस	की मृत्यु की सूचना

महोदय,

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है की मेरे पति का नंबर _____ रैंक _____
 नाम _____ रेजिमेंट/कोर _____ की मृत्यु दिनांक _____ को _____
 के कारण हो गई है। मृत्यु प्रमाणपत्र की कॉपी संलग्न है।

धन्यवाद,

आपकी आभारी,
 (श्रीमती _____)

परिशिष्ट 'F'
(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)

स्पीड पोस्ट के द्वारा

तारीख :-

श्रीमती _____
(पत्राचार का पता)
टेली : _____ मोबाइल _____

को,
जिला सैनिक बोर्ड
(_____) (पता)

विषय : विडो पहचान पत्र इशू करने के सम्बन्ध में :

नंबर रैंक नाम आर्म/सर्विस

महोदय,

1. अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है की मेरे पति नंबर _____ रैंक _____ नाम _____ रेजिमेंट/कोर _____ का देहांत दिनांक _____ को हो गया है।
2. उनको सर्विस पेंशन प्रति माह रु _____ मिलती थी। PPO नंबर _____ और शुद्धिपत्र PPO नंबर _____ संलग्न है।
3. उनकी मृत्यु का कारण मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर _____ दिनांक _____ में दिया गया है जो की _____ द्वारा जारी किया गया है।
4. मृत्यु का कारण दुर्घटना है/नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर दी गयी है/नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
5. निमिन्लिखित दस्तावेज आपकी सूचना के लिए संलग्न हैं :-
 - (a) PPO नंबर _____ dt _____ शुद्धिपत्र PPO _____ dt _____ और अनुलग्नक IV.
 - (b) मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक _____ के द्वारा जारी _____)
 - (c) प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जो की पुलिस स्टेशन सेक्टर _____ में दर्ज की।
 - (d) फोटोग्राफस की तीन स्वहस्ताक्षरित कॉपी।
 - (e) भूतपूर्व पहचान पत्र नंबर _____ दिनांक _____ जो की मेरे पति को जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था।
6. आपसे अनुरोध है के मुझे विडो पहचान पत्र जारी करें।
7. मेरा फ़ोन नंबर _____.

धन्यवाद,

आपकी आभारी,

(श्रीमती _____)

परिशिष्ट 'G'
(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)

स्पीड पोस्ट के द्वारा

तारीख :-

श्रीमती _____
(पत्राचार का पता)
टेली : _____ मोबाइल _____

सेवा में,

(सम्बंधित अभिलेख कार्यालय)

सर्विस पार्टिकुलर बुकलेट इशू करने के सम्बन्ध में नंबर
रैंक नाम आर्म/सर्विस

महोदय,

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है की मेरे पति नंबर _____ रैंक _____ नाम _____
_____ रेजिमेंट _____ का देहांत दिनांक _____ को
_____ के कारण हो गया है। आपसे अनुरोध है की मुझे सर्विस पार्टिकुलर बुकलेट इशू करने का कष्ट करें।
डिस्चार्ज बुक नंबर _____ और दो पासपोर्ट साइज़ फोटो संलग्न है।

धन्यवाद,

आपकी आभारी,
(श्रीमती _____)

परिशिष्ट 'H'
(फोल्डर के पेज 6 से सम्बद्ध)

स्पीड पोस्ट के द्वारा

तारीख :-

श्रीमती _____
(पत्राचार का पता)
टेली : _____ मोबाइल _____

सेवा में,
CSD प्रबंधक
(_____ (डिपेंडेंट URC का पता))

विषय : **कैंटीन स्मार्ट कार्ड बदली करने के सम्बन्ध में :**
नंबर _____ रैंक _____ नाम _____ आर्म/सर्विस _____

महोदय,

1. अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है की मेरे पति नंबर _____ रैंक _____ नाम _____ रेजिमेंट/कोर _____ का देहांत दिनांक _____ को हो गया है।
2. उनको सर्विस पेंशन प्रति माह रु _____ मिलती थी। PPO नंबर _____ और शुद्धिपत्र PPO नंबर _____ संलग्न है।
3. उनकी मृत्यु का कारण मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर _____ दिनांक _____ में दिया गया है जो की _____ द्वारा जारी किया गया है।
4. मृत्यु का कारण दुर्घटना है/नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर दी गयी है/नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
5. निमिन्लिखित दस्तावेज आपकी सूचना के लिए संलग्न हैं :-
 (a) PPO नंबर _____ dt _____ शुद्धिपत्र PPO _____ dt _____ और अनुलग्नक IV.
 (b) मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक _____ के द्वारा जारी _____)
 (c) प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जो की पुलिस स्टेशन सेक्टर _____ में दर्ज की।
 (d) फोटोग्राफस की तीन स्वहस्ताक्षरित कॉपी।
 (e) कैंटीन स्मार्ट कार्ड (भूतपूर्व सैनिक ग्रासरी कम Liquor कार्ड) नंबर _____ जो की मेरे दिवंगत पति को जारी किया गया।
6. आपसे अनुरोध है के मुझे विडो पहचान पत्र जारी करें।
 (a) नया कैंटीन कार्ड जारी करें।
 (b) रिसीट से कैंटीन सुविधा जारी रखें।

धन्यवाद,

आपकी आभारी,

(श्रीमती _____)

परिशिष्ट 'J'
(फोल्डर के पेज 12 से सम्बद्ध)

स्पीड पोस्ट के द्वारा

तारीख :-

श्रीमती _____
(पत्राचार का पता)
टेली : _____ मोबाइल _____

सेवा में,
कैटीन प्रबंधक

ADLRS योजना की धनराशी के सम्बन्ध में नंबर _____ **रैंक** _____
नाम _____ **आर्म्स/सेर्विस** _____

महोदय,

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है के मेरे पति नंबर _____ रैंक _____ नाम _____
रेजिमेंट/कोर _____ का देहांत दिनांक _____ को _____ के कारण हो गया है। मुझे रु 10,000
के सहायता धनराशी प्रदान करें। कैटीन स्मार्ट कार्ड के प्रति बैंक शाखा _____ में जमा करें।

धन्यवाद,

आपकी आभारी,
(श्रीमती _____)

दस्तावेजों की सूची जो की फोल्डर के साथ राखी जाए

1. मूल एवं सुधार के बाद का पेंशन पेमेंट आदेश |
2. सेवा जानकारी पत्रिका |
3. AGIF द्वारा जारी विस्तारित बीमा योजना प्रमाण पत्र |
4. सभी कार्ड्स की प्रतिलिपिया : ECHS कार्ड, ESM पहचान कार्ड, CSD कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि |
5. पासपोर्ट,आर्म्स लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन |
6. वसीयत की कॉपी |
7. स्पर्श की लॉगइन ID और पासवर्ड, ECHS इत्यादि

सही दस्तावेज ही असल वेलफेयर है मेरे
और मेरे परिवार के लिए ।